कार्यालय, नगर पंचायत, महागामा (गोड्डा)

(अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या– udd/npm/**08**/2020–21 से संबंधित)

नगर पंचायत, महागामा के नगरवासियों को समुचित साफ–सफाई की सुविधा प्रदान करने के लिए महागामा नगर पंचायत द्वारा ट्रेक्टर (कूड़ा उठाव हेतु) का क्रय किया जाना आवश्यक है। ट्रेक्टर (कूड़ा उठाव हेतु) का आपूर्त्ति हेतु निर्माता/प्राधिकृत विक्रेता/आपूर्त्तिकर्त्ता से मुहरबंद भावपत्र/दर/कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निर्माणकर्त्ता/प्राधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता, महागामा नगर पंचायत कार्यालय में कोविड–19 के नियमों (मास्क/सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि) का पालन करते हुए दिनांक–26.03.2021 को 11:00 बजे पूर्वा0 से 01:00 बजे अपराह्न तक जमा कर सकते हैं। प्रस्ताव/कोटेशन के साथ अद्यतन GST, PAN, ITR, अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। प्राप्त प्रस्ताव/कोटेशन उसी दिन अप0 02:30 बजे महागामा नगर पंचायत कार्यालय में e-procurment समिति के समक्ष खोली जायेगी। कोटेशन/भावपत्र खोलते समय कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

Group No.	Name of Item	Specification	Fee Amount (Non Refundable)
1	2	3	4
1	Tractor	Model Number 275 DI Engine HP 39 HP No. Of Cylinder 3	**10,000=00**

नोट :– इस सूचना से संबंधित अन्य सभी नियम एवं शर्तो का अवलोकन महागामा नगर पंचायत कार्यालय/कार्यालय के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाईट पर किया जा सकता है।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, महागामा।

ज्ञापांक ..../न0पं0, महागामा, दिनांक ....

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को निविदा संख्या–UDD/npm/08/2020-21 हार्ड प्रति के साथ सीडी में सॉफ्ट प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि सामाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, (NIC), गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन जिले के बेबसाईट पर करने की कृपा की जाय।

प्रकाशन दाता का नाम – जीतेन्द्र कुमार देव
पद नाम – कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महागामा
विभाग का नाम – नगर विकास एवं आवास विभाग
सम्पर्क नम्बर – 7979704471
ई–मेल आईडी – **npmahagama@gmail.com**

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, महागामा।

नियम एवं शर्तें :–

1. उपरोक्त सामग्री के निर्माता अथवा उनके प्राधिकृत विक्रेता से निविदा/दर आमंत्रित की जाती है।
2. कोटेशनदाताओं को अपना कोटेशन दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा (तकनीकि एवं वित्तीय) एक लिफाफा में संलग्न करना होगा।
3. सामग्री ISI मार्का अथवा ISO मार्क होना अनिवार्य है।
4. निविदादाता को निविदा के साथ GSTIN की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं रहने संबंधी एवं किसी अन्य विभाग में उनका कार्य लंबित नहीं होने का शपथ–पत्र मूल प्रति में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को निविदा के साथ अद्यतन आयकर (ITR) स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा के साथ अग्रधन की राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महागामा के नाम से भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं निविदादाता द्वारा बैंक गारंटी की प्रति संलग्न करना होगा।
8. कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व कुल आदेश राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो आपूर्त्ति कार्य समाप्ति के उपरांत/गारंटी/वारंटी अवधि तक उपकरण के अच्छी स्थिति में रहने के उपरांत ही वापस की जायेगी।
9. बाजार दर से सामग्री का दर अधिक नहीं है, इससे संबंधित शपथ–पत्र निविदादाता को देना अनिवार्य होगा।
10. कोटेशन के साथ सामग्रियों पर देय गारंटी/वारंटी का विवरण देना होगा।
11. सभी कोटेशनदाताओं को सामानों की आपूर्ति हेतु सभी कर एवं ट्रांसपोटेशन सहित दर अंकित करना होगा।
12. निविदा/कोटेशन पर निर्णय लेने का अधिकार क्रय समिति को होगा। समिति को आवश्यकता महसूस होने पर सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना होगा। कोटेशनदाता का निदेश पालन करना होगा।
13. सामग्रियों में गारंटी/वारंटी अवधि तक किसी प्रकार की खराबी या गड़बड़ी हुई तो उसका मरम्मति कार्य अविलंब कोटेशनदाता को कराना होगा। मरम्मति नहीं कराने की स्थिति में उनके सुरक्षित जमा राशि से मरम्मति कराते हुए आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
14. किसी भी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
15. सामग्रियों की आपूर्त्ति निर्गत आदेश के एक सप्ताह के अंदर करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश रद्द कर जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. न्यायालय संबंधी किसी भी प्रकार के वाद/मामले का निष्पादन गोड्डा जिला अंतर्गत ही किया जायेगा।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, महागामा।